वक़्फ़ से सम्बन्धित आवश्यक संक्षिप्त जानकारी

वक़्फ़

वक़्फ़ का शाब्दिक अर्थ है, रोक रखना (Detention)। जबकि वक़्फ़ अधिनियम 1995 के अनुसार इस्लाम धर्म में निष्ठा रखने वाले किसी व्यक्ति द्वारा किसी सम्पत्ति का मुस्लिम विधि के अर्न्तगत धार्मिक, पवित्र अथवा खैराती प्रयोजनों के लिये किया गया स्थायी सर्मपण वक़्फ़ कहलाता है। वक़्फ़ का सम्बन्ध मुसलमानों की समस्त धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाओं से जुड़ा हुआ है। वक़्फ़ कानून पैगम्बर हज़रत मोहम्मद साहब (स.अ.) द्वारा स्थापित सिद्धान्तों पर आधारित है, जिसका उद्देश्य यही है कि वक़्फ़ का लाभ मानव जाति को मिले। हॉलाकि वक़्फ़ के माध्यम से वक़्फ़ सम्पत्ति सर्वशक्तिमान अल्लाह में निहित हो जाती है लेकिन इसका उपयोग अल्लाह के बन्दों के लाभार्थ एवं हितार्थ किया जाता है।

वक़्फ़ मौखिक या लिखित रूप से किया जा सकता है। लिखित वक़्फ़ करने की दशा में उसका पंजीकरण, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अर्न्तगत आवश्यक हो जाता है। वक़्फ़ चल और अचल दोनों प्रकार की सम्पत्तियों का किया जा सकता है।

वाकिफ़

वाकिफ उस मुस्लिम व्यक्ति को कहते हैं जो अपनी सम्पत्ति या किसी बहुमूल्य वस्तु को वक़्फ़ कर देता है। वक़्फ़ करने के पश्चात वाकिफ के समस्त अधिकार समाप्त हो जाते हैं और उन सभी अधिकारों का अन्तरण अल्लाह के नाम से शाश्वत रूप से हो जाता है।

मुतवल्ली

किसी भी वक़्फ़ का प्रबन्धक मुतवल्ली कहलाता है और वह इस सम्पत्ति का प्रबन्ध, सरंक्षण, देखभाल, व्यवस्था और पर्यवेक्षण करता है। मुतवल्ली सम्बन्धित वक़्फ़ बोर्ड द्वारा नियुक्त किया जाता है।

वक़्फ़ नामा

वक़्फ़ नामा वह अभिलेख है, जिसके द्वारा वक़्फ़ को सृजित किया जाता है।

वक़्फ़ सम्पत्तियों के प्रकार

वक़्फ़ अलल खैर–

वक़्फ़ अललखैर में वह सभी धार्मिक सम्पत्तियॉ आती हैं, जहॉ मुस्लिम समुदाय के लोग अलग–अलग तरीकों से इबादत करते हैं अथवा धार्मिक कार्यो के लिये प्रयोग करते हैं, जैसे– मस्जिद, इमामबाड़ा, ईदगाह, दरगाह, ख़ानकाह, तकिया और कब्रिस्तान आदि। यह सभी सम्पत्तियॉ वक़्फ़ अलल खैर सम्पत्तियॉ कहलाती हैं।

वक़्फ़ अलल औलाद–

वक़्फ़ अलल औलाद वह सम्पत्तियॉ कहलाती हैं, जिन्हें मुस्लिम कानून के तहत वाकिफ द्वारा किसी सम्पत्ति के एक हिस्से को अलल खैर के वास्ते वक़्फ़ कर दिया जाता है और बाकी हिस्सा अपनी औलाद के लिये वक़्फ़ कर दिया जाता है, ताकि वह सम्पत्ति बेची न जा सके और उसकी तौलियत(प्रबन्धन)उन्हीं की औलादों में निहित रहे।

वक़्फ़ प्रयोग द्वारा–

प्रयोगकर्ता द्वारा वक़्फ़ लेकिन ऐसा वक़्फ़, ऐसे सेशर की कालावधि के समाप्त हो जाने पर विचार किये बिना ही उपयोगकर्ता के मात्र कारण द्वारा एक वक़्फ़ के रूप में होने से विरत हो जाएगा।

सुन्नी वक़्फ़

जिन सम्पत्तियों पर सुन्नी विधि लागू होती है, वह सुन्नी वक़्फ़ सम्पत्ति कहलाती है।

शिया वक़्फ़

जिन सम्पत्तियों पर शिया विधि लागू होती है, वह सम्पत्तियॉ शिया वक़्फ़ सम्पत्ति कहलाती है।